राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

म्युटेशन अपील सं. 20/2015 श्रीमती पोकरीबाई बनामः ग्राम पंचायत खिवान्दी वगैरा
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
23.06.2015	पक्षकारान उपस्थित। यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र खिवान्दी में बरोज आज पेश हुई। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार अपीलांट् ने रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत प्रस्तुत कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 483 दिनांक –– जिसे रेस्पोडेन्ट सं.01 द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पटवारी हल्का खिवान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली ने प्रश्नगत् मामले में रेकर्ड संबंधित वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। कथित जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का खिवान्दी व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली ने जाहिर किया है कि प्रश्नगत् म्युटेशन अर्थात अपीलाधीन म्युटेशन सं. 483 दिनांक –– नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसलिए यह प्रकरण श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज फरमावे। इस संदर्भ में हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन म्युटेशन सं. 483 दिनांक –– की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन व परीक्षण किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन म्युटेशन रेस्पोडेन्ट सं.01 ने स्वीकृत नहीं किया है बल्कि उक्त प्रश्नगत् म्युटेशन नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है जो विधि के तहत यह मामला प्रथमतः इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में प्रश्नगत् मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट्स या उनके अधिवक्ता को लौटाया जाना उचित समझते है। अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की प्रश्नगत् म्युटेशन अपील विधि अनुसार प्रथमतः इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की नहीं होने से इस दिशा–निर्देश के साथ प्रश्नगत् म्युटेशन अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट या उनके अधिवक्ता को लौटाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। मूल परिवाद व संलग्न दस्तावेजात की छाया प्रतिया इस पत्रावली रेकर्ड पर रखी जावे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 23.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प खिवान्दी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (जिला-पाली)	

Scanned by CamScanner